

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय

सं०सं०- पि०व०/आ०क०वि०सं०-50-01/2016- 362

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,
सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 24/06/2022

विषय:-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नियमित पदस्थापित शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बच्चियों के नामांकन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-822, दिनांक-06.04.2022 (समय-समय पर यथासंशोधित)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, जिसमें छात्राओं को आवासीय कर पठन-पाठन का कार्य कराया जाता है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवासीय विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी को भी आवासीय विद्यालय में रहना होता है। आवासीय विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक, शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी का पदस्थापन गृह जिला में नहीं होता है, फलस्वरूप कर्मियों को अपने गृह जिला एवं परिवार से दूर आवासीय विद्यालय में रहना होता है।

2- इस क्रम में यह भी ध्यात्व है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। पहली बार आवासीय विद्यालयों में TRE-2 के माध्यम से शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित/स्थानान्तरित कर्मियों के बच्चियों का सामान्य रूप से नामांकन इन आवासीय विद्यालय में नहीं होता है। इस कारण से आवासीय विद्यालय के कर्मी अपने बच्चियों को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। जिससे एक ओर बच्चियों को अपने माता-पिता से दूर रहना पड़ता है तथा वहीं दूसरी ओर कर्मी को भी अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की चिंता प्रायः बनी रहती है। साथ ही कई आवासीय विद्यालय जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण कर्मियों के बच्चियों की शिक्षा में काफी परेशानी होती है।

3- अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-822, दिनांक-06.04.2022 (समय-समय पर यथासंशोधित) निर्गत है। संचालन नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवासीय विद्यालय में छात्राओं के नामांकन के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, लेकिन आवासीय विद्यालय में पदस्थापित नियमित कर्मियों (प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेत्तर) के बच्चियों के शिक्षण हेतु नामांकन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

4- चूंकि विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। ऐसी स्थिति में आवासीय विद्यालय के कर्मियों के बच्चियों की शिक्षा आवासीय विद्यालय में किये जाने पर विचार करना आवश्यक है।

अतः पदस्थापित नियमित कर्मियों के बच्चियों की शिक्षा के संबंध में निर्गत संचालन नियमावली/मार्गदर्शिका (विभागीय पत्रांक-822, दिनांक-06.04.2022) की कंडिका-5 को संशोधित करते हुए कंडिका-5 (A) निम्नवत् जोड़ा जाता है:-

227

(i) पदस्थापित नियमित कर्मियों के बच्चियों का पदस्थापन वाले आवासीय विद्यालय में पढ़ाना बाध्यकारी नहीं बल्कि एच्छिक होगा।

(ii) पदस्थापित नियमित कर्मी यदि अपने बच्चियों का नामांकन चाहते हैं तो उनकी बच्चियों का उनके पदस्थापन वाले आवासीय विद्यालय में ही नामांकन होगा। विभागान्तर्गत अन्य आवासीय विद्यालय में नहीं।

(iii) नियमित कर्मी (शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)/शिक्षकेत्तर) के अधिकतम 2 बच्चियों को दिवाकालीन छात्रा (Day Scholar) के रूप में नामांकन दिया जायेगा।

(iv) चूँकि यह आवासीय विद्यालय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है, लेकिन कर्मियों के बच्चियों का नामांकन में BC-I एवं BC-II का होना बाध्यकारी नहीं रहेगा।

(v) नामांकन में छात्रा (Girls) का होना बाध्यकारी होगा।

(vi) बच्ची अपने नियमित कर्मियों (माता-पिता) के साथ उनके आवंटित आवास में रहेगी।

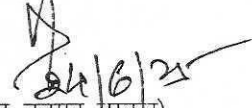
(vii) बच्चियों का भोजन, वस्त्रादि का व्यवस्था कर्मियों द्वारा किया जायेगा।

(viii) नियमित कर्मियों के बच्चियों का नामांकन निर्धारित सीट यथा कक्षा-6 में 40 सीट से अलग होगा। इसी तरह से कक्षा-7, 8, 9 आदि में भी निर्धारित सीट से अलग होगा।

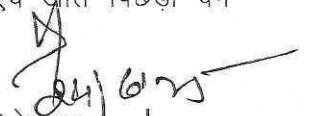
(ix) नियमित कर्मियों के स्थानान्तरण के साथ ही उनके बच्चियों का स्थानान्तरण कर्मियों के पदस्थापन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में किया जा सकेगा।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(अनिल कुमार हाकुर)
निदेशक।

ज्ञापांक- पि0व0/आ0क0वि0सं0-50-01/2016- 362, पटना, दिनांक- 24/06/2025.
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक।